



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या-735-पै०एण्डआर०-28/पाकालि/12-46-पी/89 टी०सी०

दिनांक 23 मार्च, 2012

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा कारपोरेशन के परिपत्र सं०-181-पै०एवंआर०-28/पाकालि/10 दिनांक 20.02.10 के आंशिक संशोधन में समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को परिचय पत्र निर्गत किये जाने का दायित्व उप मुख्य लेखाधिकारी के स्थान पर केवल आहरण वितरण अधिकारी/पेंशन वितरण इकाईयों को दिया जाता है। आहरण वितरण अधिकारी/पेंशन वितरण इकाई कार्यालय, पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को परिचय पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र को अपने स्तर पर मुद्रित कराकर पी०पी०ओ० के साथ ही निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक:-यथोक्त।

संख्या-735(1)-पै०एण्डआर०-28/पाकालि/12-तददिनांक :-

निदेशक (का०प्र०एवंप्रशा०)

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. समस्त प्रबन्ध निदेशक, डिस्काम्स/ट्रांसको/केस्को।
 2. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, छठा तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 3. समस्त मुख्य अभियन्ता डिस्काम्स/केस्को/ट्रांसको।
 4. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/डिस्काम्स/ट्रांसको/केस्को।
 5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक इकाई (पेंशन सेल), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 7. वरिष्ठ लेखाधिकारी (पेंशन) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
 8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० वेब साइट www.uppcl.org.com पर उपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(एच०सी०लाल)

अनु सचिव (पी०एण्डआर०)

पारिवारिक विवरण

क्र०सं० नाम कारपोरेशन सेवक से सम्बन्ध आयु

1.
2.
3.
4.

नवीनीकरण

पेंशनर की मृत्यु दिनांक..... के बाद..... जो मृतक की..... है को पारिवारिक पेंशन नवीनीकृत किया गया..... तिथि.....

अधिकांसी अभियन्ता / लेखाधिकारी

स्थानान्तरण

1. जनपद से स्थानान्तरण के बाद पुनः जासी।
तिथि..... अधिकांसी अभियन्ता / लेखाधिकारी
2. जनपद से स्थानान्तरण के बाद पुनः जासी।
तिथि..... अधिकांसी अभियन्ता / लेखाधिकारी

1. परिचय पत्र जिस व्यक्ति का है उसी के प्रयोग हेतु मान्य है।
2. पेंशनर की मृत्यु की दशा में यदि परिवार के किसी सदस्य को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है, के नाम परिचय पत्र नवीनीकृत करा लिया जाये।
3. परिचय पत्र खोने / नष्ट होने की दशा में 25 रु० शुल्क देकर दूसरा बनवाया जा सकता है।
4. परिचय पत्र में अनाधिकृत काट-पीट / अपरिलेखन कर परिवर्तन वर्जित है। ऐसा करने से परिचय पत्र स्वतः अमान्य हो जायेगा।
5. स्थानान्तरण की दशा में अधिकांसी अभियन्ता / लेखाधिकारी से प्रविष्टियां संशोधित करा ली जाय।

क्रम संख्या.....

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०



पेंशनर परिचय पत्र

नाम.....
अन्तिम धारित पद.....
कार्यालय / विभाग.....
वेतन / वेतनमान.....
पता.....
तिथि.....

कार्मिक की
सेवानिवृत्त
से 6 माह
तक का
फोटोग्राफ

सेवानिवृत्त की तिथि.....
पी०पी०ओ सं०-..... पेंशन / पा० पेंशन जारी करने
वाला अधिकारी.....

अधिकांसी अभियन्ता / लेखाधिकारी
पेंशन आहरण वितरण कार्यालय